राहत कार्य एवं ~~[illegible]~~ पुनर्वास मुआवजा हेतु 8 अरब 10 करोड़ की आवश्यकता

सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिलेगा। - मंत्री

पूर्णियाँ: 26 अप्रैल। आपदा प्रभावित परिवारों को सरकार पूर्ण मदद मुहैया करा रही है। पीड़ित परिवारों को तत्काल खाद्यान्न एवं नगद राशि राहत के तौर पर दिया जा रहा है। सरकार कृत संकल्प है और राहत वितरण कार्य में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराने में कोई ~~[illegible]~~ ~~कमी नहीं~~ कमी नहीं की जायेगी। जिला प्रभारी मंत्री-सह श्रम नियोजन मंत्री ~~[illegible]~~ माननीय श्री दुलालचन्द्र गोस्वामी ने कहा कि यहाँ ~~[illegible]~~ त्रासदी हुई है। उन्होंने निर्देश दिया कि पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत ~~सामग्री~~ पहुँचायी ~~जाय~~ जाये। उन्होंने कहा कि वे बराबर जिला प्रशासन के संपर्क में हैं और उन्हें प्रशासन द्वारा लगातार जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय मंत्री श्री गोस्वामी समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में आपदा मंत्री श्रीमती लेसी सिंह. विधायक जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, एसडीएम, डीडीसी. सिविल सर्जन/ डीपीआरओ एवं वरीय अधिकारियों जिला के विभिन्न प्रखंड. प्रखंड नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे। माननीय मंत्री ने कहा कि राशि के वितरण में कोई विलम्ब न की जाये। उन्होंने कहा कि वे स्वयं राहत वितरण कार्य का सतत रूप से निरीक्षण करेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि कुल 128452 परिवारों का निबंधन हुआ है। सभी प्रभावित परिवारों को सहायता अनुदान एवं क्षति का मुआवजा देने में लगभग 8 अरब 10 की आवश्यकता बताया गया है।

26/04/15